ACTION TAKEN REPORT

Sub: Action taken report in compliance to the orders of Hon'ble NGT in the matter of OA 08/2021 Shri Krishna Gopal Bairagi v/s Govt. Of M.P. & Ors.

In reference to OA 08/2021 Shri Krishna Gopal Bairagi v/s Govt. Of M.P. & Ors. Hon'ble NGT vide order dated 08.08.2022 has given following instructions:

"In view of the Joint Committee Report, the Municipal Corporation, State Pollution Control Board and the Collector are directed to submit the action taken report."

In reference to above order, the action taken by concerned departments are as under:

Action Taken: By District Administration, Sehore

1. The office of Tehsildar, Sehore vide letter no 45 dated 05/07/2022 submitted the demarcation report. Copy of demarcation report is enclosed as **Annexure-I.** As per the instruction of Hon'ble NGT dated 27.04.2022, District Administration Sehore has completed the demarcation work of Seevan river and marked the 30 m width on the bank of Seevan river. As per the demarcation report following are main points:
   - **a.** 24 nos. of brick kilns are found established in the 30 m protected area from its bank along the Seevan river.
   - **b.** From North East side of main river at khasra no. 484 Gram - chawani the tributary with khasra no. 474 and 482 is emerged and it is again joins the river in South West direction. The recorded khasra nos of the tributary are 474 and 482.
   - **c.** The vijyasan dham colony is located on South side of this tributary.
   - **d.** There are 06 pucca houses are found constructed within 15 m area from the bank of tributaries of Seevan river.

Action Taken: By MPPCB

1. As per the order of hon'ble NGT in case of OA 593/2017 dated 28.08.2019 the Environmental compensation (EC) is assessed. As per record, the violation of illegal construction was observed on dated 04.01.2019 along the Seevan river in Sehore. The calculation steps of environmental compensation are attached as per **Annexure-II**. It is proposed to relied levy environmental compensation of sum Rs. 10,63,680/- (Rs. Ten Lacs Sixty Three Thousand Six Hundred Eighty only) on the builder for not providing sewage treatment plant. The violation period has been calculated from the first date of inspection i.e. 04.01.2019 to 31.05.2022.
2. Notice has been issued to the colonizers of Vijyasen Dham colony, Sehore for development of illegal colony and as per Tehsildar, Sehore demarcation report

06 pucca houses are found constructed within 15 m area from the bank of tributaries of Seevan river. Copy of notice is attached as **Annexure-II.**

3. Notice has been issued to 24 brick kilns for closure of operation of unit, in reference to the Tehsildar, Sehore demarcation report showing establishment of brick kilns within 30 m protected area on the bank of Seevan River. Copy of notice is attached as **Annexure-III**.

Action Taken: By Nagar Palika, Sehor

1. Nagar Palika, Sehore vide letter no 3474 Dated 01/09/2022 submitted the action taken report. The copy of letter received from Nagar Palika, Sehore is attached as **Annexure-V.** As per the letter following are the main points:
    - **a.** There are 09 houses constructed in Vojashandham colony and all 09 houses are having septic tank and soak pit for sewage disposal. There is no discharge from septic tank going into Seevan river. As per the norms of Swach Bharat Mission the sludge of septic tank is being cleaned in every 03 years. Photographs of cleaning of these septic tanks are enclosed.
    - **b.** The remaining part of laying of sewer network of Sehore is being covered under AMRUT Yojana 2.0. In compliance to the orders of Hon’ble NGT, sewer line will be laid down for the Vijasandham colony, Sehore and proper treatment of sewage from houses will be ensured under AMRYT yojana 2.0.
    - **c.** As per the provisions of section 339-C of the Madhya Pradesh Municipality Act 1961, the competent officer has initiated action against the colonizer for the construction of illegal colony.

(Brajesh Sharma)
Regional Officer
MPPCB, Bhopal

Annexure-I

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील सीहोर (नगर) जिला सीहोर (म0प्र0)

ई-मेल - tehsildarnagarsehore@gmail.com दूरभाष क्रमांक - 9131921463

क्र. 45 /रीडर/2022 सीहोर, दिनांक 05/07/2022

प्रति,

श्री बृजेश शर्मा

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर,

ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म0प्र0)

R.O.M.P.P.C.B. BHOPAL Received 1510 Date 12/7/2022

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/2021 (कृष्ण गोपाल बैरागी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 27.04.2022 को आदेश पारित अनुपालन में जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

संदर्भः- आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1778/ क्षे का/ प्रनिबो/ 2022 भोपाल, दिनांक 30/05/2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/2021 (कृष्ण गोपाल बैरागी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 27.04.2022 को आदेश पारित अनुपालन के पेरा 6 (1) (**The Tehsildar of the Sehore district has constituted a four member committee vide office order dated 01.02.2022 for survey, measure and demarcation of the area. The demaracation report is awaited.**) में की गयी कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन चाहा गया है।

उक्त संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जांच दल का गठन कर उक्त स्थल का सीमांकन कराया गया। राजस्व दल द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया की ग्राम छावनी स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 474 एवं 482 का सीमांकन पूर्व कार्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख सीहोर द्वारा दिनांक 24/07/2019 को किया जा चुका हैं। जिसकी प्रति संलग्न है। माननीय एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के परिपालन में कार्यालय तहसीलदार तहसील सीहोर के द्वारा गठित दल अनुसार पुनः मौके पर बफर ज़ोन हेतु सीमांकन किया गया। जिसमें निम्न तथ्य पाए गए जो बिन्दुवार निम्नानुसार है-

1. यह कि ग्राम छावनी में संलग्न नक्शे अनुसार भूमि खसरा क्रमांक 484 नोईयत - नदी के नाम से दर्ज हे, एवं खसरे के कॉलम नं0 12 में ' सीवन नदी ' दर्ज है। उक्त खसरे

Pushpendra Gupta (AE) Pl. Keep in NGT file (08/2021)

12/07 Keep in file निर्देशित

Pusht AE(C)

तहसीलदार

Scanned with CamScanner

में निर्देशानुसार 30 मीटर के बफर जोन में खसरा क्रमांक 483 स्थित है। जो
नोईयत- खदान निस्तार के नाम से दर्ज हे एवं खसरे के कॉलम नं0 12 में " ईंट
एहतमाम महकमा ईंट बनाने मिट्टी निकालने हेतु " टिप्पणी दर्ज है। उक्त खसरा क्रमांक
483 में वर्तमान में ईंट भट्टे लगे हुए हैं। जिसकी सूची पृथक से संलग्न है।

2. यह कि ग्राम छावनी में मूल नदी का खसरा क्रमांक 484 नोईयत - नदी के उत्तर पूर्व से सहायक शाखा खसरा क्रमांक 474 एवं 482 निकली है जो कि पुनः आगे जाकर दक्षिण - पश्चिम दिशा में पुनः नदी में मिल गई है। खसरा क्रमांक 474 एवं 482 की नोईयत " नदी नाला" अभिलेख में दर्ज है।

3. यह कि ग्राम छावनी स्थित उक्त खसरा क्रमांक 474 एवं 482 नोईयत - नदी नाला के उत्तर दिशा भूमि खसरा क्रमांक 481-486/ 2 - 490/1/3 - 490/1/4 स्थित है, जो कि भूमि स्वामी स्वत्व में है एवं स्थल पर बीजासेन धाम कॉलोनी स्थित है। मूल नदी नाला के शासकीय खसरा क्रमांक 474 एवं 482 की सीमा से उत्तर दिशा में 15 मीटर का सीमांकन किया गया। उसमें स्थित भूखण्ड एवं मकानों की सूची पृथक से संलग्न है। उक्त भूखण्ड एवं मकान भूमिस्वामी स्वत्व में खसरा क्रमांक 481-486 /2 -490/1/3 - 490/1/4 के भाग स्थित है।

अतः उक्त स्थल का मौका जांच प्रतिवेदन, ईंट भट्टों की सूची एवं नवीन सीमांकन व पूर्व में किया गया सीमांकन व मौका पंचनामा उचित कार्यवाही हेतु श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

तहसीलदार
तहसील सीहोर नगर

सीहोर, दिनांक 05 / 07 /2022

पृ.क्र. 46 /रीडर/2022

प्रतिलिपिः-

1. कलेक्टर महोदय, सीहोर जिला सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. अनुविभागीय अधिकारी महोदय अनु0 सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीहोर जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ ।

तहसीलदार
तहसील सीहोर नगर

Scanned with CamScanner

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय

तहसील – सीहोर नगर

विषय – माननीय एन0जी0टी के निर्देशानुसार ग्राम छावनी के खसरा कमांक – 474 एवं 482 के सीमांकन बावत्।

संदर्भ – कार्यालय तहसीलदार तहसील सीहोर नगर के पत्र कमांक – 599/रीडर/2022 सीहोर दिनांक 01/02/2022 के संदर्भ में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के परिपालन में ग्राम छावनी स्थित शासकीय भूमि खसरा कमांक 474 एवं 482 का सीमांकन पूर्व कार्यालय अधीक्षक भू– अभिलेख सीहोर द्वारा दिनांक 24/07/2019 को किया जा चुका है। जिसकी प्रति संलग्न है। माननीय एन0 जी0 टी0 के निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के परिपालन में कार्यालय तहसीलदार तहसील सीहोर के द्वारा गठित दल अनुसार पुनः मौके पर बफर जोन हेतु सीमांकन किया गया। जिसमें निम्न तथ्य पाए गए।

1. यह कि ग्राम छावनी में संलग्न नक्शे अनुसार भूमि खसरा कमांक 484 नोईयत – नदी के नाम से दर्ज है एवं खसरे के कॉलम नं0 12 में "सीवन नदी" दर्ज हैं। उक्त खसरे में निर्देशासनुसार 30 मीटर के बफर जोन में खसरा कमांक 483 स्थित है। जोकि नोईयत– खदान निस्तार के नाम से दर्ज है एवं खसरे के कॉलम नं 12 में "जैर एहतमाम महकमा ईंट बनाने मिट्टी निकालने हेतु" टिप्पणी दर्ज है। उक्त खसरा कमांक 483 में वर्तमान में ईंट भट्टे लगे हुए हैं। जिसकी सूची पृथक से संलग्न है।
2. यह कि ग्राम छावनी में मूल नदी का खसरा कमांक 484 नोईयत– नदी के उत्तर पूर्व से सहायक शाखा खसरा कमांक 474 एवं 482 निकली है जो कि पुनः आगे जाकर दक्षिण पश्चिम दिशा में पुनः नदी में मिल गई है। खसरा कमांक 474 एवं 482 की नोईयत "नदी नाला" अभिलेख में दर्ज है।
3. यह कि ग्राम छावनी स्थित उक्त खसरा कमांक 474 एवं 482 नोईयत– नदी नाला के उत्तर दिशा भूमि खसरा कमांक 481–486/2–490/1/3–490/1/4 स्थित है, जोकि भूमिस्वामी स्वत्व में है एवं स्थल पर बीजासेन धाम कालोनी स्थित है। मूल नदी नाला के शासकीय खसरा कमांक 474 एवं 482 की सीमा से उत्तर दिशा में 15 मीटर का सीमांकन किया गया। उसमें स्थित भूखण्ड एवं मकानों की सूची पृथक से संलग्न है। उक्त भूखण्ड एवं मकान भूमिस्वामी स्वत्व में खसरा कमांक 481–486/2–490/1/3–490/1/4 के भाग में स्थित है।

अतैव प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।

संलग्न – 1. ईट भट्टों की सूची
2. 15m के दायरे वाले भूखण्ड धारकों की सूची

धीरेन्द्र वर्मा
राजस्व निरीक्षक
जिला व तह. सीहोर

Scanned with CamScanner

खसरा कमांक 483 नोईयत – खदान में स्थित जोकि नदी खसरा कमांक 484 की सीमा के पश्चात् 30 मीटर की की परिधी में स्थित ईंट भट्टा धारको की सूची

कमांक	सीमा से लगा नदी नाला का खसरा कमांक	30 मीटर परिधी में स्थित ईंट भट्टा धारकों का नाम	खसरा कमांक जिसमें ईंट भट्टा स्थित है	निर्माण का प्रकार	टीप
1.	484	निक्कू पिता भोला प्रजापति	483	ईंट भट्टा	
2.	484	विष्णुप्रसाद आ0 गोपाल चौधरी	483	ईंट भट्टा	
3.	484	राजकुमार आ0 नर्बदाप्रसाद	483	ईंट भट्टा	
4.	484	धर्मराज आ0 भूरा	483	ईंट भट्टा	
5.	484	योगेश आ0 हेमराज	483	ईंट भट्टा	
6.	484	राजू आ0 सुरेश	483	ईंट भट्टा	
7.	484	घनश्याम आ0 छीतूलाल	483	ईंट भट्टा	
8.	484	बल्लू आ0 छीतूलाल	483	ईंट भट्टा	
9	484	सुरेश आ0 भागीरथ	483	ईंट भट्टा	
10	484	कैलाश आ भागीरथ	483	ईंट भट्टा	
11	484	रमेश आ भागीरथ	483	ईंट भट्टा	
12	484	जसमत आ0 भागीरथ	483	ईंट भट्टा	
13	484	देवकरण	483	ईंट भट्टा	
14	484	दिलीप आ0 शिवप्रसाद	483	ईंट भट्टा	
15	484	बंटी प्रजापति आ0 शिवप्रसाद	483	ईंट भट्टा	
16	484	मुकेश आ0 शिवप्रसाद	483	ईंट भट्टा	
17	484	जितेंद्र आ0 धनराज	483	ईंट भट्टा	
18	484	मनोज आ0 बिहारी	483	ईंट भट्टा	
19	484	पप्पू आ रामू	483	ईंट भट्टा	
20	484	दिनेश आ0 चरनसिंह	483	ईंट भट्टा	
21	484	दिपक आ0 चरनसिंह	483	ईंट भट्टा	
22	484	जीवन आ0 चरनसिंह	483	ईंट भट्टा	
23	484	गोलू आ0 चरनसिंह	483	ईंट भट्टा	
24	484	प्रवीण आ0 रतनसिंह	483	ईंट भट्टा	

धीरेन्द्र वर्मा
राजस्व निरीक्षक
जिला व तह. सीहोर

Scanned with CamScanner

खसरा कमांक 474 व 482 की सीमा के पश्चात् 15 मीटर की परिधी में स्थित भूखण्ड धारकों की सूची

कमांक	नदी नाला का खसरा कमांक	15 मीटर परिधी में स्थित भूखण्ड धारक का नाम	भूखण्ड का प्रकार	भूखण्ड का रकबा (हे0 में)	स्वत्व का प्रकार
1.	474	रिक्त भूमि			
2.	474	सीमा खजूरिया पत्नि नारायणसिंह	मकान	0.009	
3.	474	महेंद्र सोनी पिता दुर्गाप्रसाद सोनी	मकान	0.009	
4.	474	गोविंद महेश्वरी	प्लाट	0.009	
5.	482	गुरूचरणसिंह बाधवा पिता सहेंद्रपाल वाधवा	मकान	0.016	
6.	482	तरनजीत कौर पत्नि गुरमीतसिंह सलूजा हरप्रीतकौर पति पूरनसिंह	मकान	0.004	
7.	482	महेश कुमार गोयल पिता घासीराम गोयल	मकान	0.009	
8.	482	सतीश कुमार सगवालिया पिता जगदीशचंद्र	मकान	0.011	
9.	482	रिक्त भूमि			

धीरेन्द्र वर्मा
राजस्व निरिक्षक
जिला व तह. सीहोर

Scanned with CamScanner

नक्शा - अक्श
ग्राम- छापरी
प.ह.न.- 05
तह- सीहोर नगर

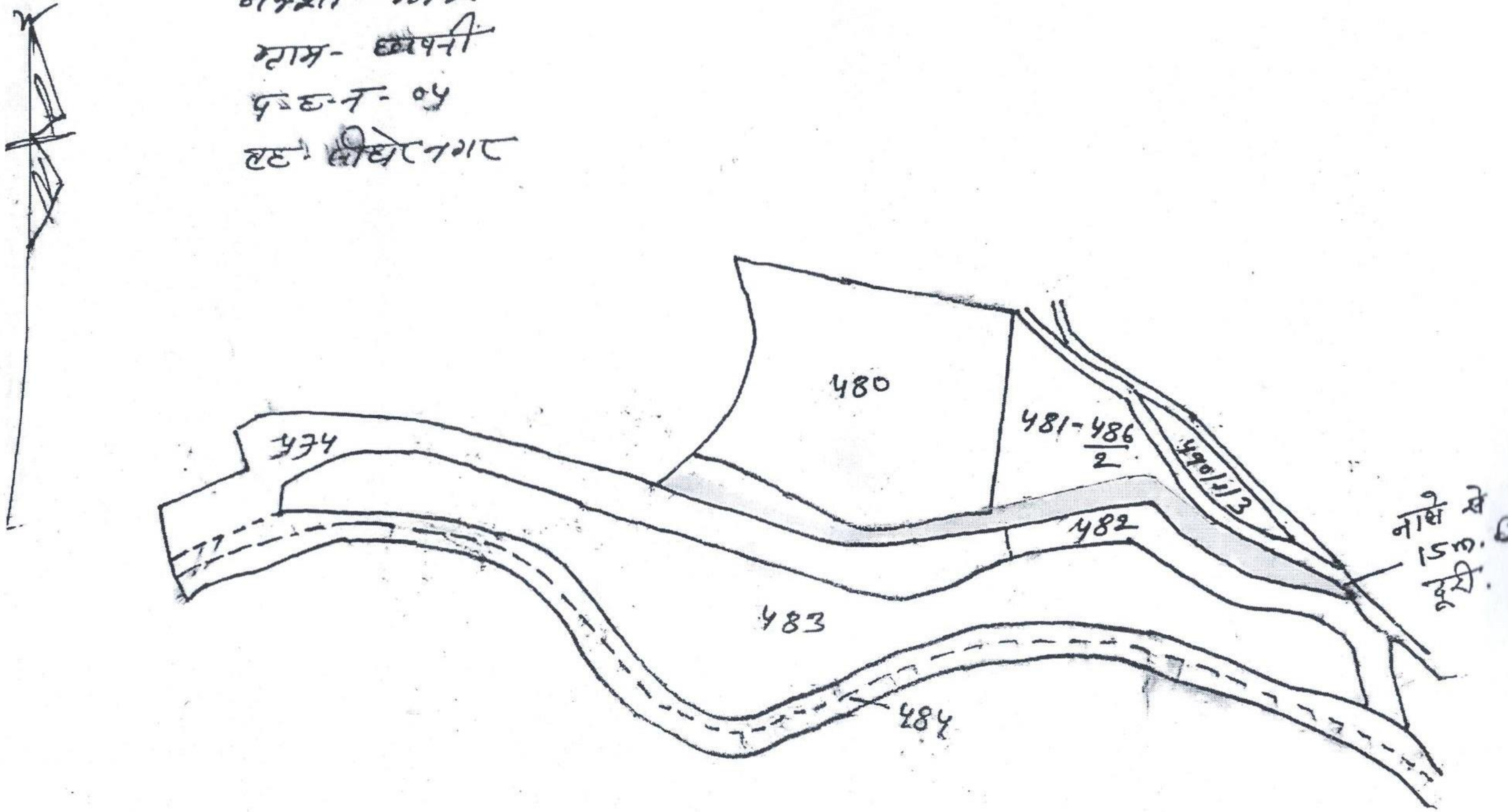

धीरेन्द्र वर्मा
राजस्व निरीक्षक
तह सीहोर

पंचनामा

—१—

हम पंचगण ग्राम - छावनी के होकर तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 1/6/2022 को ग्राम छावनी स्थित शासकीय भूमि ख. नं. 482 व 474 का सीमांकन कार्यालय तहसीलदार तह. सीहोर नगर के पत्र क्र- 599/R/2022, सीहोर दिनांक 01/02/2022 अनुसार किया। उक्त शासकीय खसरों से 15 m. (मीटर) की सीमा का चिन्हांकन किया गया। चिन्हित क्षेत्र में (15 m. अं आये प्लाट अथवा मकान कि सूची पृथक से संलग्न है। सीमांकन ई.टी.एस. से कर 15 m. के जोन में निशानात लगवाये गये। मौके पर तरनजीत कौर सलूजा एवं अन्य द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्टे ऑर्डर दिया गया जो संलग्न है अतः पंचनामा मौके पर तैयार किया, पढ़ा सुना व हस्ताक्षर किये।

P 1/6/22

धीरेन्द्र वर्मा
राजस्व निरीक्षक
जिला व तह. सीहोर

Shahid

Satish

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधीक्षक, भू–अभिलेख सीहोर, जिला सीहोर(म0प्र0)

क्रमांक/902 /भू–अभि/2019 सीहोर,दिनांक 25/07/2019

प्रति

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग– सीहोर

विषय :– ग्राम छावनी तहसील सीहोर की शासकीय भूमि खसरा नंबर 474 एवं 482 के सीमांकन बाबत्।

संदर्भ:– आपका पत्र कमांक क्यू/रीडर–2/2019 दिनांक 18.06.19

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के पालन मे ग्राम छावनी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 474 एवं 482 के सीमांकन हेतु अधीक्षक भू–अभिलेख सीहोर द्वारा पत्र. कमांक 753 दिनांक 28.06.2019 से दल का गठन कर दिनांक 4.07.2019 को सीमांकन हेतु तारीख निश्चित की गई।

दिनांक 4.07.19 को उक्त भूमि के सीमांकन हेतु सीमांकन दल मौके पर उपस्थित हुआ मौके पर अभिलेख का मिलान किया गया अभिलेख मे भूमि खसरा नंबर 474 एवं 482 नदी नाला मद मे दर्ज है. पटवारी शीटों में मार्जिन मिलान नही होने के कारण सीमांकन नही किया जा सका। कार्यालय मे उपलब्ध डिजीटाईज्ड ब्लेक प्रिन्ट शीटों से मार्जिन मिलान कर ब्लेक प्रिन्ट शीटों से दिनांक 17.07.2019 एवं 18.07.2019 को गठित दल द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल -3 सीहोर, राजस्व निरीक्षक भू–अभिलेख, एवं पटवारी हल्का नंबर 37 द्वारा उपस्थित पंचगणों के समक्ष सीमांकन किया गया। मौके पर आसपास कोई भी बाधा नही होने से सीमांकन खसरा नंबर 483 के पास ग्राम छावनी एवं ग्राम सुखीसेवनपुर के मेढ़े पर स्थित मीनारे तथा खसरा नंबर 429 के पास ग्राम छावनी एवं ग्राम शेरपुर के मेढ़े पर स्थित मीनारे से ई.टी.एस. मशीन द्वारा किया गया।

सीमांकन कर शासकीय खसरा नंबर 474, 482 एवं खसरा नंबर 481, 486/2 के मध्य की सीमा पर खूटियां लगवाकर निशानात कराये गये। सीमांकन मे भूमि खसरा नंबर 474 का भाग 0.244 हे0 तथा खसरा नंबर 482 का भाग 0.126 हे0 खसरा नंबर 481, 486/2 के भूमि स्वामी द्वारा चिन्हित (पत्थर की दीवार) बनाकर अवैध आधिपत्य में पाया, जिसमें दुर्गा मंदिर तथा अंश भाग मे मकान बने हुये है।

संलग्न मौका पंचनामा
ई.टी.एस मशीन फील्ड बुक
नक्शा प्रति

(हस्ताक्षर)

सहायक अधीक्षक
भू–अभिलेख सीहोर

Scanned with CamScanner

(55) 18/07/2019

पंचनामा

हम पंचगण ग्राम छावनी में होकर यह तस्दीक करते कि दिनांक 17/07/2019 एवं 18/07/2019 को ग्राम छावनी की शासकीय भूमि खसरा नं. 482 व 474 का सीमांकन राजस्व निरीक्षक म० 03 सीहोर, राजस्व निरीक्षक भू-अभिलेख एवं पटवारी हल्का नं. 37 द्वारा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख सीहोर की उपस्थिति में मौके पर उपस्थित पंचगणो के समक्ष किया गया। सीमांकन ग्राम छावनी एवं खुर्शीदपुर के मेड़े पर स्थित मिनारे तथा ग्राम छावनी एवं ग्राम शेरपुर के मेड़े पर स्थित मिनारे से ई.टी.एस. मशीन द्वारा किया गया। सीमांकन कर निशानात कराये गये तथा खूटीया लगवाई गई, सीमांकन में पाया गया कि उक्त भूमि के भाग रकबा 0.370 है. पर पिचिंग बनाकर आवास हेतु प्लाट काटे गये है जिसके अंशभाग मे मकान बने हुये है तथा एक दुर्गा मंदिर बना है।

मौके पर पंचनामा बनाया गया पढ़ा सुना बाद हस्ताक्षर किया गया।

[signature]

[signature] R.I.-3 18/7/19

[signature] A.S.L.R. 18.7.19

[signature]

(शाहिद)

[signature] 18/7/19

नारायण

[signature] 18/7/2019

[signature]

Scanned with CamScanner

अक्स नक्शा ग्राम [illegible], तहसील सीहोर, जिला सीहोर

(54)

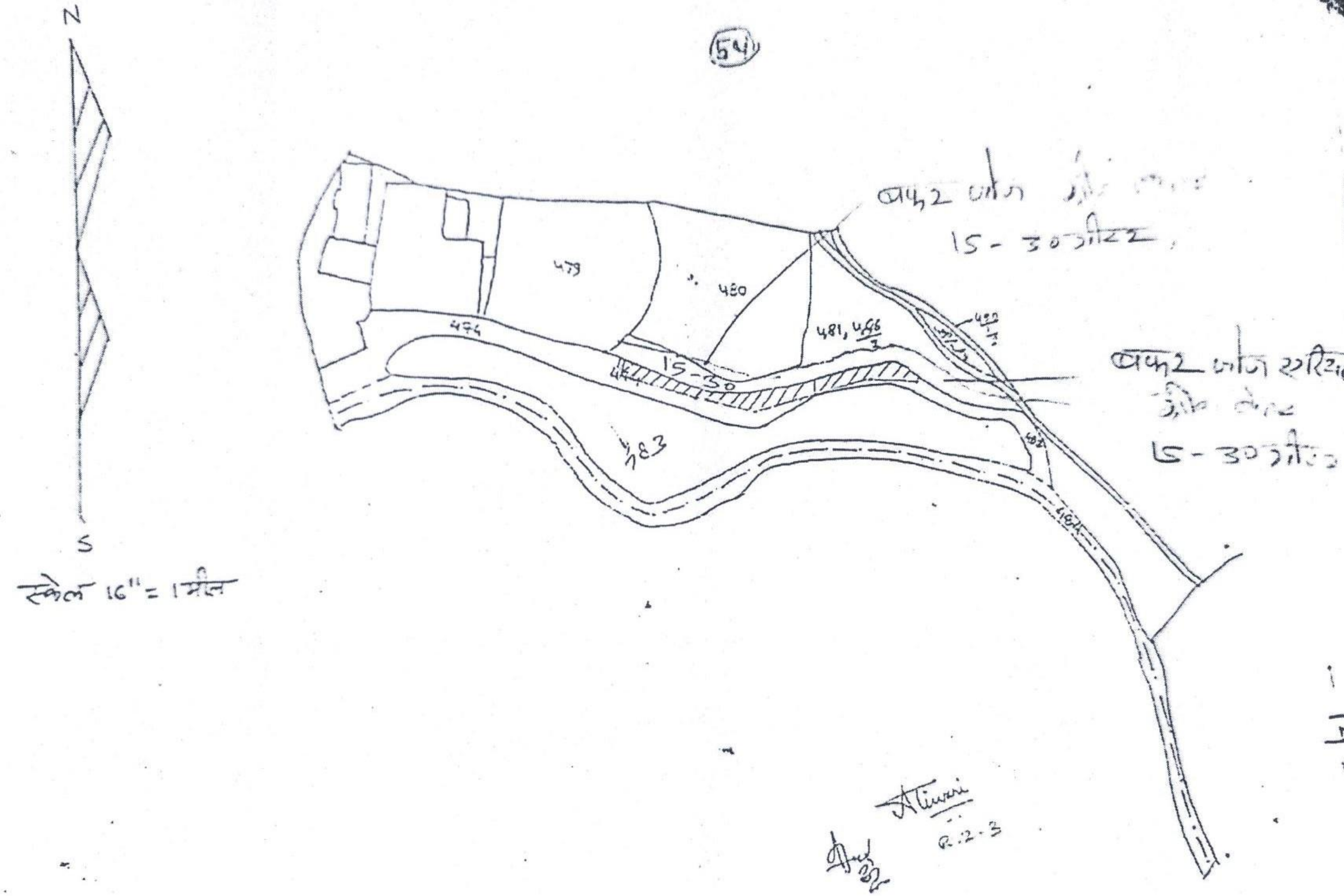

Scanned with CamScanner

FIELDBOOK

ग्राम - खोवली
खसरा नं. 474, 482
(56)

STATION POINT

POINT	EASTING(m)	NORTHING(m)
TPS0001	0.0000	0.0000
TPS0002	122.9541	-396.6300
TPS0003	12.9812	-469.5992
TPS0004	-142.8096	-833.0313
TPS0005	-141.7820	-831.0887
TPS0006	-327.9515	-972.8344
TPS0007	-324.0105	-981.2426
TPS0008	-455.1741	-1091.1723

CONTROL POINT

POINT	EASTING(m)	NORTHING(m)
M1	-31.0539	25.9891
M2	309.4583	-931.8912

OFFSET POINT

POINT	EASTING(m)	NORTHING(m)
A1	-152.0000	-822.0000
A2	-148.0000	-837.0000
A3	-206.0000	-864.0000
A4	-201.0000	-874.0000
A5	-279.0000	-891.0000
A6	-262.0000	-908.0000
A7	-323.0000	-965.0000
A8	-309.0000	-976.0000
A9	-379.0000	-1047.0000
A10	-339.0000	-1054.000

Atiwari
2-7-2

Scanned with CamScanner

57

POINT	EASTING(m)	NORTHING(m)
A11	-497.0000	-1120.0000
A12	-486.0000	-1143.0000
A13	-609.0000	-1188.0000
A14	-593.0000	-1206.0000
A15	-640.0000	-1252.0000
A16	-690.0000	-1275.0000
A17	-640.0000	-1290.0000
A18	-670.0000	-1295.0000
A19	-648.0000	-1296.0000
A20	-632.0000	-1292.0000
A21	-656.0000	-1376.0000
A22	-688.0000	-1359.0000
D1	-256.6102	-885.5277
D2	-267.3095	-906.2516
D3	-276.7355	-916.9026
D4	-293.0232	-934.4689
D5	-295.4718	-937.9235
D6	-298.7901	-947.5005
D7	-308.6118	-984.4519
D8	-313.9272	-994.7045
D9	-328.4063	-1002.1174
D10	-353.6412	-1039.0827
D11	-417.1420	-1079.1871
D12	-471.1749	-1114.6479

R.I.

A Tiwari
R.I-3

Scanned with CamScanner

आवेदनकर्ता :

कम्प्यूटर का नाम : MP07CLRP-

नक्शा प्रिंटआउट

NIC-BHUNAKSHA

दिनांक : 04/05/2018 06:33:43 PM

जिला : सीहोर   तहसील : सीहोर (01)   रा.नि. निरीक्षक मण्डल : सीहोर (01)

पटवारी हल्का : छावनी सीहोर   ग्राम : छावनी सीहोर   खसरा : 426/2   वर्ष : 2017 - 2018

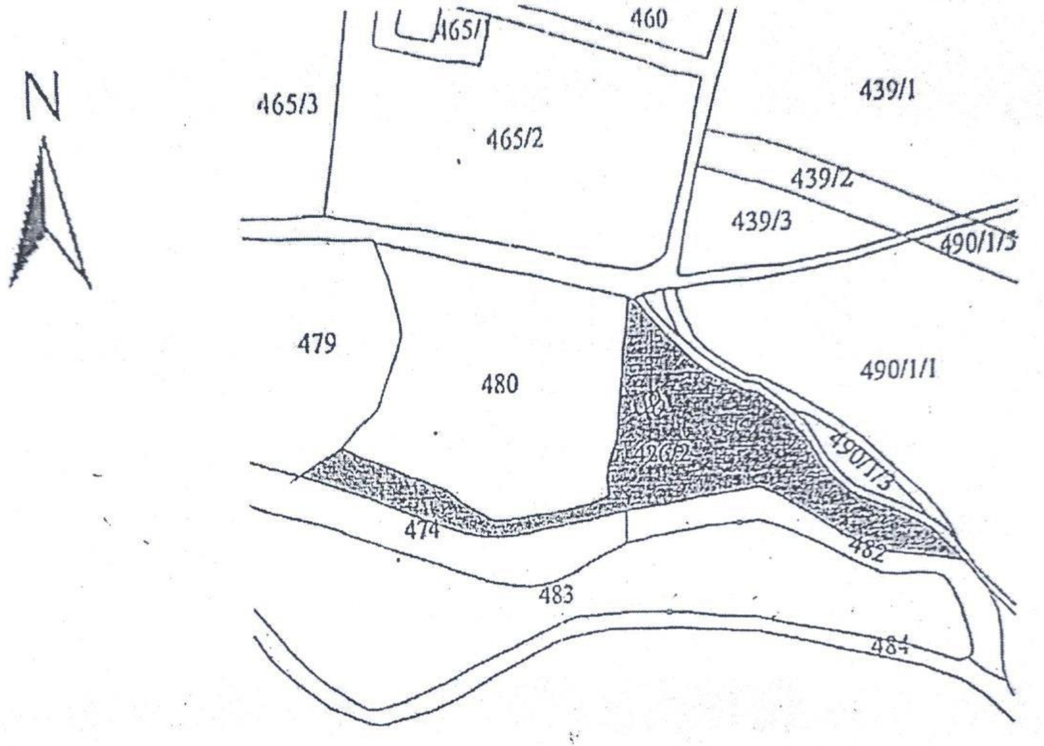

मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 426/2
क्षेत्रफल : 0.798 हे०

कैफियत : आबादी टेकनीकल स्कूल

विस्तृत जानकारी के लिये संबन्धित खसरा देखें।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

नोट :-
१. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Calculation of Environment Compensation to be levied on builder of Vijasan Dham Colony, Sehore:

Environmental Compensation (EC) to be levied on concerned individual/authority as per the order of Hon'ble NGT in case of OA 593/2017 dated 28/08/2019 may be calculated as:

EC (Lacs Rs.)= 17.5 x (Total Sewage Generation - Installed Treatment Capacity)+ 55.5 x (Total Sewage Generation - Operational Capacity) + 0.2 (Sewage Generation-Operational Capacity) X N + Marginal Cost of Environmental Externality x (Total Sewage Generation-Operational Capacity) X N

Where; N= Number of days from the date of direction of CPCB/SPCB/PCC till the required capacity systems are provided by the concerned authority. Quantity of Sewage is in MLD".

As per above methodology, the information recorded during inspection and based on following parameters environmental compensation is assessed:-

S.no.	Components of EC	Estimated value	Remarks
1	Water demand per day (MLD) (approx.)	0.030	Calculated for total no. of dwellings = 45 Assumptions as per NBC : No. of persons per family = 5 Minimum domestic water supply=135 lpcd
2	Total Sewage Generation per day (MLD) (approx.)	0.024	Assumptions as per CPHEEO manual: Sewage generation = 0.8 x Water demand
3	Installed Treatment Capacity (MLD)	0.0	STP not provided by builder. (Individual hoses are having their own septic tanks and soak pits.)
4	Operational Capacity of STP (MLD)	0.0	
5	Gap in treatment of Sewage (MLD)	0.024	Total Sewage generation – Installed treatment capacity of STP = 0.024 Total Sewage generation – Operational treatment capacity of STP = 0.024
5	N=No. of days of violation	1234	No. of days of violation is calculated from first date of inspection held on dated 04/01/2019 in ref. to Hon'ble NGT OA 25/2018 i.e. on **04/01/2019 to 31/05/2022**
6	Marginal cost of Environmental Externality (Lacs rs. per day)	0.1	As per the guidelines of CPCB &NGT order in case of OA 593/2017 dated 28/08/2019 the Marginal Cost of Environmental Externality is taken as minimum 0.05 and maximum 0.1 for sewage up to 200 MLD.
	Environmental Compensation	**Rs. 10,63,680/-**	**EC= 17.5*(0.024-0) + 55.5*(0.024-0) + 0.2*(0.024-0)*1234 + 0.1*(0.024-0)*1234** **EC = 10.6368 (in Lacs Rs.)**

Annexure - III

क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदषूण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी ,5-ई ,भोपाल) ,म(प्र.

Phone No. 0755&2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

2499 फाइल नं /प्रनिबो /क्षेका/ भोपाल, दिनांक 26 / 8 202/2

प्रति,

श्रीमति सुषमा नारंग,
पत्नी श्री एस.के. नारंग,
ई-4/220, अरेरा कॉलोनी
भोपाल, म.प्र.

विषय- बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कॉलोनी की स्थापना करने के संबंध में नोटिस।

संदर्भः- संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल का पत्र क्र. 810/विधि (प्र.क्र.08/20210)/एलसीसी.008/विविध/नग्रानि/2022 भोपाल का पत्र दिनांक 24/02/2022।

----00----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा मेसर्स **बीजासेन धाम कॉलोनी के नाम से रहवासी कॉलोनी जोकि खसरा क्र. 481-486/2, 490/1/3, 490/1/4** पर स्थित है। जोकि वैधानिक अनुमतियाँ (संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल, नगर पालिका प्रशासन सीहोर, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल) प्राप्त किये बिना स्थापित की गयी है। माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र. 08/2021 के परिपेक्ष्य में दिनांक **31/05/2022** को स्थल का निरीक्षण संयुक्त दल द्वारा किया गया है। निरीक्षण दौरान पायी गयी कमियों की जानकारी निम्नानुसार हैः-

1. उपरोक्त कॉलोनी का भाग सीवन नदी के किनारे 30 मीटर क्षेत्र के दायरे में स्थित है, जोकि सीहोर मास्टर प्लान 2016 का उल्लंघन है। जिसके अनुसार सीवन नदी के किनारे से 30 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य असंवैधानिक है। यह क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है।
2. कालोनी में आपके द्वारा सीवर लाईन तथा उपचार संयंत्र की स्थापना नही की गयी है।
3. कॉलोनी में रहवासी मकान निर्माण होना पाया गया है, एवं वर्तमान में सीवेज उपचार हेतु प्रत्येक मकान द्वारा सैप्टिक टैंक व सोकपिट बनाया गया है।

उपरोक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में लेख है कि बिना अनुमति प्राप्त किये अनाधिकृत रूप से सीवन नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थापित करने तथा सीवेज के उपचार हेतु व्यवस्था न करने के कारण यह जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, की धारा 25,26 का उल्लंघन है। जोकि दण्डनीय अपराध है।

अतः आप इस संबंध में संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करे एवं कार्यवाही कराकर इस कार्यालय को 15 दिवस के भीतर जानकारी प्रस्तुत करें। अन्यथा बोर्ड आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु बाध्य होगा।

O/C

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदषूण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर) ,अरेरा कॉलोनी भोपाल ,5-ई ,म(प्र.
आज़ादी का अमृत महोत्सव
Phone No. 0755&2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com

2498 .फाइल नं /प्रनिबो /क्षेका/ भोपाल, दिनांक 26/8 202/2

प्रति,

श्रीमति रवनीत अरोरा
पिता श्री जसपाल अरोरा,
अरोरा पेट्रोल पंप के पीछे, बस स्टैण्ड के पास,
भोपाल–इंदौर रोड़, जिला सीहोर, म.प्र.

विषय– बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कॉलोनी की स्थापना करने के संबंध में नोटिस।

संदर्भः– संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल का पत्र क्र. 810/विधि (प्र.क्र.08/20210)/एलसीसी.008/विविध/नग्रानि/2022 भोपाल का पत्र दिनांक 24/02/2022।

----00----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा मेसर्स **बीजासेन धाम कॉलोनी के नाम से रहवासी कॉलोनी जोकि खसरा क्र. 481–486/2, 490/1/3, 490/1/4** पर स्थित है। जोकि वैधानिक अनुमतियाँ (संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल, नगर पालिका प्रशासन सीहोर, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल) प्राप्त किये बिना स्थापित की गयी है। माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र. 08/2021 के परिपेक्ष्य में दिनांक **31/05/2022** को स्थल का निरीक्षण संयुक्त दल द्वारा किया गया है। निरीक्षण दौरान पायी गयी कमियों की जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. उपरोक्त कॉलोनी का भाग सीवन नदी के किनारे 30 मीटर क्षेत्र के दायरे में स्थित है, जोकि सीहोर मास्टर प्लान 2016 का उल्लंघन है। जिसके अनुसार सीवन नदी के किनारे से 30 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य असंवैधानिक है। यह क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है।
2. कालोनी में आपके द्वारा सीवर लाईन तथा उपचार संयंत्र की स्थापना नही की गयी है।
3. कॉलोनी में रहवासी मकान निर्माण होना पाया गया है, एवं वर्तमान में सीवेज उपचार हेतु प्रत्येक मकान द्वारा सैप्टिक टैंक व सोकपिट बनाया गया है।

उपरोक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में लेख है कि बिना अनुमति प्राप्त किये अनाधिकृत रूप से सीवन नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थापित करने तथा सीवेज के उपचार हेतु व्यवस्था न करने के कारण यह जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, की धारा 25,26 का उल्लंघन है। जोकि दण्डनीय अपराध है।

अतः आप इस संबंध में संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करे एवं कार्यवाही कराकर इस कार्यालय को 15 दिवस के भीतर जानकारी प्रस्तुत करें। अन्यथा बोर्ड आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु बाध्य होगा।

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदषूण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर) ,अरेरा कॉलोनी भोपाल ,5-ई ,म(प्र.
Phone No. 0755&2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

2498 .फाइल नं /प्रनिबो /क्षेका/ भोपाल, दिनांक 26/8 202/2

प्रति,

श्रीमति अमिता अरोरा
पत्नी श्री जसपाल अरोरा,
अरोरा पेट्रोल पंप के पीछे, बस स्टैण्ड के पास,
भोपाल-इंदौर रोड़, जिला सीहोर, म.प्र.

विषय- बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कॉलोनी की स्थापना करने के संबंध में नोटिस।

संदर्भः- संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल का पत्र क्र. 810/विधि (प्र.क्र.08/20210)/एलसीसी.008/विविध/नग्रानि/2022 भोपाल का पत्र दिनांक 24/02/2022।

----00----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा मेसर्स **बीजासेन धाम कॉलोनी के नाम से रहवासी कॉलोनी जोकि खसरा क्र. 481-486/2, 490/1/3, 490/1/4** पर स्थित है। जोकि वैधानिक अनुमतियाँ (संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल, नगर पालिका प्रशासन सीहोर, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल) प्राप्त किये बिना स्थापित की गयी है। माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र. 08/2021 के परिपेक्ष्य में दिनांक **31/05/2022** को स्थल का निरीक्षण संयुक्त दल द्वारा किया गया है। निरीक्षण दौरान पायी गयी कमियों की जानकारी निम्नानुसार हैः-

1. उपरोक्त कॉलोनी का भाग सीवन नदी के किनारे 30 मीटर क्षेत्र के दायरे में स्थित है, जोकि सीहोर मास्टर प्लान 2016 का उल्लंघन है। जिसके अनुसार सीवन नदी के किनारे से 30 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य असंवैधानिक है। यह क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है।
2. कालोनी में आपके द्वारा सीवर लाईन तथा उपचार संयंत्र की स्थापना नही की गयी है।
3. कॉलोनी में रहवासी मकान निर्माण होना पाया गया है, एवं वर्तमान में सीवेज उपचार हेतु प्रत्येक मकान द्वारा सैप्टिक टैंक व सोकपिट बनाया गया है।

उपरोक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में लेख है कि बिना अनुमति प्राप्त किये अनाधिकृत रूप से सीवन नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थापित करने तथा सीवेज के उपचार हेतु व्यवस्था न करने के कारण यह जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, की धारा 25,26 का उल्लंघन है। जोकि दण्डनीय अपराध है।

अतः आप इस संबंध में संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करे एवं कार्यवाही कराकर इस कार्यालय को 15 दिवस के भीतर जानकारी प्रस्तुत करें। अन्यथा बोर्ड आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु बाध्य होगा।

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

O/C

Annexure-IV

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदषूण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर-ई ,5 ,अरेरा कॉलोनी भोपाल ,(म(प्र.
Phone No. 0755&2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com

.फाइल नं /प्रनिबो /क्षेका/ भोपाल, दिनांक / /2022

प्रति,

(सूची संलग्न)

विषयः- अनाधिकृत रूप से स्थापित ईट भट्टे का संचालन बंद करने एवं हटाने के संबंध में नोटिस।

संदर्भः- न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील सीहोर (नगर) जिला सीहोर का पत्र क्र. 45/रीडर/2022 दिनांक 05/07/2022।

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में लेख है कि आपके द्वारा अनाधिकृत रूप से सीवन नदी के किनारे 30 मीटर क्षेत्र में ईट भट्टो को संचालित किया जा रहा है। जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। तत्संबंध में आप ईट भट्टो को सीवन नदी के किनारे 30 मीटर के चौड़े क्षेत्र में संचालन तत्काल बंद करें एवं शीघ्र अतिशीघ्र हटाकर अन्य स्थान पर स्थापित करें।

लेख है कि सीहोर मास्टर प्लान, 2016 के अंतर्गत सीवन नदी के किनारे 30 मीटर के क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु नियत किया है, एवं किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियाँ निषेध की गई है।

अतः आप ईट भट्टो का संचालन तत्काल बंद करें एवं इस कार्यालय को 15 दिवस के भीतर जानकारी प्रस्तुत करें। अन्यथा बोर्ड आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा।

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. 2999 क्षेका/प्रनिबो/भोपाल दिनांक 26/8 2022

1. न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील सीहोर (नगर) जिला सीहोर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

ईट भट्टा धारको की सूची

क.	नाम एवं पद	पता
1.	श्री निक्कू आत्मज श्री भोला प्रजापति, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
2.	श्री विष्णुप्रसाद आत्मज श्री गोपाल चौधरी, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
3.	श्री राजकुमार आत्मज श्री नर्बदाप्रसाद, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
4.	श्री धर्मराज आत्मज श्री भूरा, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
5.	श्री योगेश आत्मज श्री हेमराज, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
6.	श्री राजू आत्मज श्री सुरेश, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
7.	श्री घनश्याम आत्मज श्री छीतूलाल, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
8.	श्री बल्लू आत्मज श्री छीतूलाल, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
9.	श्री सुरेश आत्मज श्री भागीरथ, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
10.	श्री कैलाश आत्मज श्री भागीरथ, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
11.	श्री रमेश आत्मज श्री भागीरथ, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
12.	श्री जसमत आत्मज श्री भागीरथ, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
13.	श्री देवकरण, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
14.	श्री दिलीप आत्मज श्री शिवप्रसाद, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
15.	श्री बंटी प्रजापति आत्मज श्री शिवप्रसाद, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
16.	श्री मुकेश आत्मज श्री शिवप्रसाद, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
17.	श्री जितेन्द्र आत्मज श्री धनराज, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
18.	श्री मनोज आत्मज श्री बिहारी, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
19.	श्री पप्पू आत्मज श्री रामू, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
20.	श्री दिनेश आत्मज श्री चरनसिंह, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
21.	श्री दिपक आत्मज श्री चरनसिंह, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
22.	श्री जीवन आत्मज श्री चरनसिंह, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
23.	श्री गोलू आत्मज श्री चरनसिंह, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
24.	श्री प्रवीण आत्मज श्री रतनसिंह, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम– छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.

कार्यालय नगर पालिका परिषद् सीहोर, जिला सीहोर म.प्र.

क्र 3474/नपासी/2022 सीहोर दिनांक 1/09/2022

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भोपाल

विषयः– माननीय एनजीटी में प्रचलित प्रकरण क्र. 08/2021 (कृष्ण गोपाल बैरागी विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 08/08/2022 के निर्देशों का पालन प्रतिवेदन।

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का पत्र क्र. 2465/क्षे.क./प्र.नि.बो. भोपाल दिनांक 23/08/2022

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण क्र. 08/2021 (कृष्ण गोपाल बैरागी विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 08/08/2022 के परिपालन में नगर पालिका परिषद सीहोर द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई :–

1. बिजासेन धाम कालोनी में निर्मित 09 आवासीय मकानों से उत्सर्जित होने वाले सीवेज का डिस्पोजल मकानों में निर्मित सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जा रहा है। इन सेप्टिक टैंक्स की डीस्लजिंग नियमित समयांतराल पर कराई जाती है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रत्येक 03 वर्ष के अंतराल पर सेप्टिक टैंक की डीस्लजिंग सुनिश्चित की जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप इस कालोनी के सीवेज का सुरक्षित निराकरण किया जा रहा है। सीवेज का प्रवाह सीवन नदी में नहीं हो रहा है। उक्त कालोनी में सेप्टिक टैंक की डीस्लजिंग कार्य के फोटोग्राफ संलग्न है।

2. भारत सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत नगर पालिका सीहोर के शेष क्षेत्र में सीवर नेटवर्क स्थापित करने की योजना निर्मित की जा रही है। माननीय एनजीटी के निर्देशों के परिपालन में उक्त कालोनी में भी सीवर नेटवर्क बिछाया जाकर कालोनी के मकानों से उत्सर्जित होने वाले सीवेज का सुरक्षित उपचार अमृत 2.0 के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जाएगा।

3. माननीय एनजीटी के निर्देशानुसार लेख है कि बिजासेन धाम कालोनी के कालोनाईजर द्वारा अवैध कालोनी निर्माण करने पर कालोनाईजर के विरूद्ध मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339–ग के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

माननीय एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों का उपरोक्तानुसार पालन प्रतिवेदन संलग्न प्रेषित है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सीहोर

पृ० क्र 3475/नपासी/2022 सीहोर दिनांक 1/09/2022

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय, जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सीहोर

REDMI NOTE 5 PRO

Desludging of Septic Tanks in Vijasan Dham Colony By Nagar Palika Sehore